

प्रेस- विज्ञप्ति थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर दिनांक 15.09.2022

अभ्यस्त अपराधी अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी जनपद गोरखपुर के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी गोला गोरखपुर के निर्देशन में थाना बड़हलगंज की पुलिस टीम द्वारा एक अभ्यस्त अपराधी बबलू उर्फ कल्लू सोनकर पुत्र काशी सोनकर निवासी बेइलिया थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर को अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 447/22 धारा 04/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

बबलू उर्फ कल्लू सोनकर पुत्र काशी सोनकर निवासी बेइलिया थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर

अभियुक्त के पास से बरामदगी-

एक अदद अवैध चाकू

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 189/15 धारा 380, 457 भादवि थाना बड़हलगंज, गोरखपुर।
2. मु0अ0सं0 324/2015 धारा 3(1)यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना बड़हलगंज, गोरखपुर।
3. मु0अ0सं0 461/2018 धारा 380 411 457 भादवि थाना बड़हलगंज, गोरखपुर।
4. मु0अ0सं0 465/2018 धारा 380 भादवि थाना बड़हलगंज, गोरखपुर।
5. मु0अ0सं0 140/2018 धारा 41, 411, 413 भादवि थाना हरपुर बुदहट, गोरखपुर।
6. मु0अ0सं0 447/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बड़हलगंज, गोरखपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 कवीन्द्रनाथ सिंह थाना बड़हलगंज, जनपद गोरखपुर।
- 2- का0 अनिल कुमार यादव थाना बड़हलगंज, जनपद गोरखपुर।

